न्याया. :– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
(समक्ष – राजेश कुमार तिवारी)

Registration No. :	**BA/111/2026**
Filing No. :	1424/2026
CNR No. :	MP4905-001757-2026
Filing Date :	18-05-2026

अनिकेत रजक आत्मज स्व. महेश कुमार रजक,
उम्र 25 वर्ष, निवासी– राजेन्द्र बाबू वार्ड गाडरवारा,
थाना व तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

————***आवेदक/अभियुक्त***

—:: विरूद्ध ::—

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
पुलिस थाना गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

————***अभियोजन***

(आदेश)
(दिनांक 20/05/2026)

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदक/अभियुक्त **अनिकेत रजक आत्मज स्व. महेश कुमार रजक, उम्र 25 वर्ष, निवासी– राजेन्द्र बाबू वार्ड गाडरवारा** द्वारा श्री रमाकांत पाराशर अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी उपस्थित। प्रकरण केसडायरी प्रस्तुति/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। थाना गाडरवारा से केसडायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत। जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। 1 | अपराध कमांक | 456/2026	

2	घटना दिनांक	18.04.2026
3	अपराध दर्ज करने का दिनांक	19.04.2026
4	आरक्षी केन्द्र	**थाना गाडरवारा,** जिला–नरसिंहपुर
5	आवेदक/अभियुक्त का अपराधिक पूर्ववृत्त	अभिलेख के साथ आरोपी का आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं है किंतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वर्तमान अपराध के अलावा एक अन्य अपराध पंजीबद्ध होना लेख किया गया है।
6	आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	**निरंक**
7	अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	–
8	अपराध अंतर्गत धारा	296(बी), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता

आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम **अग्रिम** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को ऐसी जानकारी मिली है कि उसके विरूद्ध थाना गाडरवारा द्वारा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिससे आवेदक को थाना गाडरवारा द्वारा गिरफ्तार करने की संभावना है। आवेदक निर्दोष है, तथाकथित अपराध से उसका कोई वास्ता नहीं है। आवेदक उपरोक्त पते का निवासी है जहां पर उसकी चल, अचल संपत्ति स्थित है उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, नरसिंहपुर में सेवारत है यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आवेदक के विरूद्ध एक आर.सी.टी. प्रकरण 981/2025 विचाराधीन था जिसमें दिनांक 11.12.2025 को निर्णय हो गया है जिसमें उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त अपराध के अलावा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। आवेदक के इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी भी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को

प्रथम जमानत आवेदन बताते हुए तत्संबंध में संतोष गिरी गोस्वामी आ. चरनगिरी गोस्वामी, उम्र 50 वर्ष, निवासी राजेन्द्र बाबू वार्ड गाडरवारा, थाना व तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। निवेदन पर विचार किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिया साक्षी रजक द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह राजेन्द्र बाबू वार्ड गाडरवारा रहती है तथा उसकी शादी आवेदक/आरोपी अनिकेत रजक से वर्ष 2023 में हुई थी जिससे उसका एक छोटा बेटा अथर्व रजक है जो उसके साथ ही रहता है। उसकी सास कमलाबाई से मोहल्ले की संध्या कहार, श्रद्धा कहार की पुरानी बुराई चल रही है। दिनांक 18.04.2026 को शाम 6 बजे वह घर पर थी उसी समय संध्या कहार व श्रद्धा कहार उसके घर आई और बातचीत चल रही थी, उसका पति आवेदक/आरोपी अनिकेत भी घर पर था तभी आरोपी आया और मां की बुराई कर रही है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा जो सुनने में बुरी लग रही थी, गाली देने से मना करने पर आरोपी ने उसकी चोटी पकड़कर हाथ–थप्पड़ से मारपीट कर गला दबाने लगा जिससे उसे बांये हाथ में, गले में तथा कमर में मुंदी चोट आयी। घ ाटना सुनकर मीनू जाटव, अम्मा पटैल आये और बीचबचाव किया। आरोपी जाते जाते जान से खत्म करने की धमकी दी।

फरियादिया की उक्त सूचना के आधार पर थाना गाडरवारा द्वारा आवेदक/आरोपी के विरूद्ध थाना गाडरवारा के अपराध क्र. 456/2026 अंतर्गत धारा 296(बी), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थिया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर मौकानक्शा तैयार किया गया तथा आरोपी पर धारा 35(3)क बी.एन.एस. का नोटिस तामील कराया गया। आरोपी का कृत्य जमानतीय प्रकृति का है। मामले में विवेचना अपूर्ण है।

आवेदक/आरोपी के विरूद्ध धारा 296(बी), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। बी.एन.एस.एस.

की धारा 482 अजमानतीय अपराध के संबंध में लागू होती है। आवेदक/आरोपी पर जमानतीय धाराओं का आरोप होने से **आवेदक/आरोपी अनिकेत रजक** की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रचलन योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाना की केस डायरी वापस किया जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम पंजी एवं सी.आई.एस. में लेखबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–

(राजेश कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

RAJESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by RAJESH KUMAR TIWARI
Date: 2026.05.20 16:17:53 +0530